




पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0/2820/2023

दिनांक:-08 दिसम्बर, 2023

### अधिसूचना

शासनोदश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी. दिनांक 13.07.2021 में उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टर में की गयी शोध परियोजना का संयुक्त प्रबन्ध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि महाविद्यालय का सम्बन्धित विषय का शिक्षक शोध परियोजना का सुपरवाइजर होगा, जो शोध परियोजना का मूल्यांकन करेगा। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षक नहीं लगाये जायेंगे। शोध परियोजना के मूल्यांकन हेतु सुपरवाइजर का चयन सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

  
डा0(महेश कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

सहा0कुलसचिव